राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1( )पीएस / आकाशि / 2023 / 6552 दिनांक : 01.09.2023

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय / कार्यालय में नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 04 पर अंकित रिक्त पद के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक एफ.17(10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 28– 03–2023 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	रिक्त पद का नाम जिसका कार्य किया जाना है तथा जिसके विरूद्ध पुनर्नियुक्त किया जा रहा है	महाविद्यालय का नाम जहां रिक्त पद के विरूद्ध सेवाएं ली जानी हैं	विशेष विवरण
01	समीर पूनिया	अति.प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय महाविद्यालय, शेरगढ़	
02	दशरथ सिंह राठौड़	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, नावां	
03	अनिल कुमार गुप्ता	अति. प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बयाना	
04	रामू	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	राज. महा. बारां (नोडल महा.) के रिक्त पद के विरूद्ध।
05	बृजराज	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुचामनसिटी	राज. महा. नावां (नोडल महा.) के रिक्त पद के विरूद्ध।
06	पोकर राम प्रजापति	फिटर ग्रेड–द्वितीय	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	
07	सत्यनारायण कुमावत	सहा. प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय महाविद्यालय, उनियारा	
08	नारायण लाल कलाल	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.01 17:58:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4633412

09	मोहन लाल रैगर	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	
10	मिश्री लाल	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, मंगलाना	
11	ओम प्रकाश शर्मा	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी	
12	राम गोपाल कोली	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर)	
13	मोहन लाल	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़	
14	राजेन्द्र सिंह राठौड़	सहा.प्रशा. अधिकारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू	
15	गोपाल मीणा	जमादार	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर	
16	सत्यनारायण सैन	जमादार	च.श्रे.क.	आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर	
17	कजोड़ मल सैन	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	
18	बलवन्त सिंह	कनिष्ठ सहायक	च.श्रे.क.	राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही	
19	मदन लाल	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, टोंक	
20	गोपाल लाल मीना	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी	
21	कस्तूरी देवी	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय महाविद्यालय, खैरथल	
22	गुलाब चन्द वर्मा	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़	
23	नेतराम सिंगारिया	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	सहायक लेखाधिकारी	आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर	

<u>पुनर्नियुक्ति की शर्तें</u> :

01. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30–08–2022 के अनुसार भुगतान संवेतन मद से किया जावेगा।
02. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस केडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही केडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

Signature valid
Digitally signed by Suni Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.01 1?:58:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4633412

03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जावेगा।

04. समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवदेनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़ बही को लिखने और रौकड़िया के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जावेंगे।

05. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

06. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

07. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।

08. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

09. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

10. शेष प्रावधान एवं शर्तें कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/परिपत्रों के अनुसार होंगे।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.1( )पीएस/आकाशि/2023/ 6552
दिनांक : 01.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य/सहायक निदेशक, राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28-03-2023 की पालना सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को **जरिये ई-डाक** उपलब्ध करावें।
4. स्थापना शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक को सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.01 17:58:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4633412